R.M.M. Law College, Saharsa
Nareshji Anand
L.L.B. Part Ist
Paper IInd
Constitutional law

लोक-सेवाओं में अवसर की समानता का अधिकार (अनु० 16)

अनुच्छेद 16 यह उपबन्धित करता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से सम्बन्धित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी राज्याधीन नौकरी या पद के विषय में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंशक्रम, जन्मस्थान, नि॰ के आधार पर किसी नागरिक को अपात्र नहीं समझा जाएगा और न विभेद किया जाएगा। राज्याधीन नियोजन में अवसर की समानता के सामान्य लाभ एवं सामान्य नियम के तीन अपवाद है० जो खण्ड 3, 4, 5 में उल्लिखित हैं।

ध्यान रहे कि अनुच्छेद-16 केवल राज्य के अधीन नौकरियों में अवसर की समानता का अधिकार प्रदान करता है, और सरकारी नौकरियों को यह अधिकार नहीं प्राप्त है। यह संविदा संबंधी मामलों में लागू नहीं होता है। उदाहरण के लिए ए० के० अच्युतन बनाम केरल राज्य के मामले

में पार्वती को सरकारी अस्पतालों में दूध आपूर्ति करने का ठेका सरकार ने दिया था किन्तु बाद में यह रद्द कर दिया गया और दूसरों को दे दिया गया जो सरकार की दुग्ध सहकारी संस्था थी। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि सरकार उत्तरदायी नहीं थी क्योंकि ठेकेदार को ठेका संविदा अधिनियम पर दिया गया था और वह कोई लोकसेवक नहीं था किसी व्यक्ति को ठेका देना अनुच्छेद-16 के अंतर्गत नियोजन नहीं माना जाता है।

अनुच्छेद 16 के अंतर्गत राज्याधीन नौकरी के मामले में अवसर की समानता का तात्पर्य यह है कि एक वर्ग के कर्मचारियों को समानता का अवसर प्रदान करना न कि पृथक एवं स्वतंत्र वर्गों के कर्मचारियों को समानता प्रदान करना। यह अनुच्छेद यह अपेक्षा करता है कि प्रत्येक नागरिक को उसकी योग्यता एवं प्रतिभा के आधार पर राज्याधीन नौकरियों में नियुक्ति के लिए समान अवसर प्रदान किया जायेगा समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत आकस्मिक रूप से नियुक्त दैनिक भोगी कर्मचारी पर भी लागू होता है और यदि वे स्थायी कर्मचारियों के समान कार्य करने वालों भी भिन्न वेतनमान निर्धारित किये जा सकते हैं यदि उनमें कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्व के मामले में अंतर है।

समान कार्य के लिए समान वेतन:-

रणधीर सिंह बनाम भारत सरकार के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यद्यपि संविधान के अधीन यह मूल अधिकार नहीं है

किन्तु अनुच्छेद 14, 16 और 39-ग के सम्मिलित प्रभाव के अनुसार निश्चय ही यह एक "संविधानिक लक्ष्य" है जिसकी प्राप्ति संवैधानिक उपचारों द्वारा की जा सकती है और न्यायालय उसे संवैधानिक अधिकार के रूप में प्रवर्तित कर सकते हैं। रनधीर सिंह के मामले में दिये गये विनिश्चय का अनेक मामलों में अनुसरण किया गया है।

किंतु 'समान कार्य के लिए समान वेतन' का नियम सभी मामलों में यंत्रवत नहीं लागू किया जा सकता है। एक ही काडर की सेवाओं में दो वेतनमान हो सकते हैं यदि कार्य की प्रकृति और उत्तरदायित्व इनकी अपेक्षा करता है।

ध्यान रहे कि अवसर की समता का तात्पर्य अर्हताओं या मानदण्डों का उन्मूलन नहीं है। अनुच्छेद 16 राज्य को पूर्ण अधिकार देता है कि वह लोक सेवाओं के लिए आवश्यक अर्हताओं एवं मापदण्डों को निर्धारित कर सकें। राज्य द्वारा निर्धारित अर्हताओं में मानसिक योग्यताओं के अतिरिक्त शारीरिक पुष्टि, अनुशासन, नैतिक स्तर और जनहित आदि भी सम्मिलित हैं। जिन नौकरियों में तकनीकी ज्ञान आवश्यक है उनके लिए तकनीकी अर्हताएँ निर्धारित की जा सकती हैं। पद की प्रकृति के अनुसार ही अर्हता का मानदण्ड निर्धारित किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार अनुच्छेद 16 राज्य को लोक सेवा में विभिन्न श्रेणियों की सृष्टि करने का भी अधिकार प्रदान करता है।

Scanned with CamScanner

अनुच्छेद 16(1) केवल प्रारम्भिक नियुक्तियों के मामले में ही नहीं वरन पदोन्नति आदि के मामले में भी लागू होता है।

अनुच्छेद 16 के अधीन अनिवार्य सेवा निवृत्ति के लिए सुनियुक्त नियमों का विहित किया जाना प्रतिषिद्ध नहीं करता है। लोकहित में अनिवार्य सेवा-निवृत्ति का उपबन्ध सभी सरकारी सेवकों को लागू होता है और इसलिए अनुच्छेद 16 के अधीन इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है।

अनुच्छेद 16(2) में सामान्य आधारों के अलावा दो अतिरिक्त आधार वंशक्रम और 'निवास-स्थान' भी सम्मिलित किये गये हैं जो अनुच्छेद 15 में नहीं है।

अनुच्छेद 16(3) अनुच्छेद 16(2) का एक अपवाद है। खण्ड (2) 'निवास-स्थान' के आधार पर असमानता को वर्जित करता है किन्तु सरकार कुछ सेवाओं को केवल राज्य के निवासियों के लिए आरक्षित कर सकती है, बशर्ते कि इसके लिए उचित कारण हो।

अनुच्छेद 16(4) इस अनुच्छेद 16(1) और (2) का दूसरा अपवाद है। इसके अनुसार राज्य पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबन्ध कर सकता है।

Scanned with CamScanner